



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक **८४८**

/अकादमी/संबद्धता/2021

भोपाल, दिनांक **०५-०७-२१**

संशोधित अधिसूचना

आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन पत्र क्रमांक 1305/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 28-06-2021 के तारतम्य में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों हेतु संबद्धता 2021-22 की स्थाई/अस्थाई संबद्धता/ नवीनीकरण /पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता / नवीन महाविद्यालय, नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की उत्तरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई संबद्धता प्राप्त करने हेतु म.प्र. शासन 'उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल, केन्द्रीय निकाय की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करने हेतु पूर्व जारी अधिसूचना क्रमांक 573/अकादमी/संबद्धता/2021 दिनांक 07.06.2021 द्वारा जारी की गई थी जिसमें विज्ञानुसार वृद्धि की जाती है :-

क्र.	समस्त पाठ्यक्रम/संकाय/सामान्य/व्यावसायिक	अंतिम तिथियाँ
1	नवीन शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों नवीन संकाय, नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु	10 July 2021
2	शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों की पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की स्थाई/अस्थाई संबद्धता की निरंतरता आवेदन करना समस्त संकाय संकाय-कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, प्रबंध एवं अन्य सामान्य/व्यावसायिक पाठ्यक्रम	10 July 2021

NOTE :-

- विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05.08.2019 के निर्णयानुसार निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात आवेदनों पर 50% अधिभार लिया जायेगा। समस्त मूल शुल्क पर 18% GST अंतिरिक्त देय होगा।
- गठविद्यालय के MP-Online के गांधीम से आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात, पांच दिवस के अंदर संपूर्ण आवेदन पत्र (Part-A) गय संलग्नकों प्रस्तुत दस्तावेजों को तालिकानुसार पलेज के साथ प्राचार्य/संस्था के संचय से अविवार्य रूप से सत्यापित करवाकर गठविद्यालय की सील सहित अकादमी कक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावे जब कि गठविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त की हो। किसी भी गठविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त किये बड़ेर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित गठविद्यालय/संस्था की होगी। विश्वविद्यालय की घोई जबाबदारी नहीं होगी। ऐसे दोषी पाये जाये गठविद्यालय ये अन्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी। आनलाईन आवेदन नहीं करने पर अस्थाई संबद्धता/स्थाई संबद्धता/नवीनीकरण/रीट संस्था में वृद्धि प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की जायेगी। जिसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित गठविद्यालय/संस्था प्रमुख की होगी।
- गठविद्यालयों से प्राप्त किया जाने वाली शुल्क पूर्व बकाया शुल्क का विवरण लेखा www.bubhopal.ac.in पर प्रदर्शित किया गया है। शुल्क संबंधी पत्रों का गठविद्यालय द्वारा प्रतिक्षा नहीं की जाये, एवं राज्य सीमा का ध्यान रखें।
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भारपूरिक एवं विधि (लैंग) पाठ्यक्रमों के लिये जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र / निरंतरता आवेदन के पश्चात 07 दिवस के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय में निरंतरता / संबद्धता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

नोट - बैतूल जिले के समस्त महाविद्यालय 08 जुलाई से 10 जुलाई तक संबद्धता की निरंतरता की शुल्क जमा कर सकेंगे।

पृ. क्र. **८४९** अकादमी/संबद्धता/2021

प्रतिलिपि :

- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध समस्त शास. एवं अशा. महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं डॉन की ओर पालनाथ।
- राज्यपाल के अवर सचिव राजभवन, गोपाल की ओर सूचनार्थ।
- अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन गोपाल की ओर सूचनार्थ।
- दीनीय संघालक राष्ट्रीय अध्यापक परिषद रामगढ़ हिल्स मानसा भवन, भोपाल
- राजालक तकनीकी शिक्षा रातपुड़ा भवन भोपाल
- उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
- कुलपतीजी/कुलसचिवजी के नियंत्रण के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित
- वैबसाईट प्रमाणी, उपरोक्त अधिसूचना को बैबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- संबोधित नहीं।

भोपाल, दिनांक

०५-०७-२१

कुलसचिव

सहायक कुलसचिव, अकादमी

उप-कुलसचिव, अकादमी